वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर (उ0प्र0)

वेब साईट :www.vbspu.ac.in aracademicvbspu@gmail.com

पत्रांक : 4849/शैक्षणिक/2021 दिनांक– 05.09.21

सेवा में,

समस्त प्राचार्य/प्राचार्या
सम्बद्ध महाविद्यालय
वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल, विश्वविद्यालय
जौनपुर।

विषय– राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 लागू किये जाने के परिपेक्ष्य में महाविद्यालय में विभिन्न प्रकोष्ठ, क्रियान्वयन समिति, रोजगार परक पाठ्यक्रम ,छात्र मूल्यांकन एवं मूल्यांकन विधियों के क्रियान्वयन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में शासनादेश संख्या– 142/सत्तर–3–2021–08(35)/2020 टी.सी.1 दिनांक 15 जनवरी 2021, पत्र संख्या 474/सत्तर–3–2021–08(35)/2020 दिनांक 10 फरवरी 2021 ,पत्र संख्या 1065/सत्तर–3–2021–16(26)/2011 दिनांक 20 अप्रैल 2021,पत्रसंख्या 1567/सत्तर–3–2021–16(26)/2011टी.सी दिनांक 13 जुलाई 2021 एवं पत्र संख्या 1969/सत्तर–3–2021 दिनांक 18 अगस्त 2021, पत्र संख्या 2058/सत्तर–3–2021–08(33)/2020 टी.सी. दिनांक 26 अगस्त 2021 के क्रम में दिशा–निर्देश जारी किये गये हैं। उपरोक्त शासनादेश विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है जिनपर आप द्वारा अपने कार्यक्षेत्र स्तर पर कार्ययोजना बनाकर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नक– यथोक्त।

भवदीय,
06/09/21
सहायक कुलसचिव
शैक्षणिक

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. विशेष कार्याधिकारी कुलपति, माननीय कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
2. आशुलिपिक परीक्षा नियंत्रक, परीक्षा नियंत्रक कार्यालय।
3. आशुलिपिक वित्त अधिकारी, वित्त विभाग।
4. वरिष्ठ आशुलिपिक कुलसचिव, कुलसचिव महोदय के सूचनार्थ।
5. प्रो0 मानस पाण्डेय, संयोजक, आइ0क्यू0ए0सी0।
6. वेब मास्टर को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त सूचना एवं संलग्नक शासनादेशो को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
7. अधीक्षक सम्बद्धता विभाग को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त पत्र को समस्त प्राचार्य को अवगत कराये।

सहायक कुलसचिव
शैक्षणिक

शीर्ष प्राथमिकता/समयबद्ध
संख्या– 474/सत्तर–3–2021–08(35)/2020

प्रेषक,

मोनिका एस.गर्ग,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. निदेशक,
उच्च शिक्षा, उ0प्र0,
प्रयागराज।

2. कुलसचिव,
समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

उच्च शिक्षा अनुभाग–3

लखनऊ : दिनांक 10 फरवरी, 2021

विषयः–राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के परिप्रेक्ष्य विश्वविद्यालयों में टास्क फोर्स एवं महाविद्यालयों में कियान्वयन समिति के गठन के सम्बन्ध में।

महोदय,

अवगत है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के प्रभावी क्रियान्वयन में विश्वविद्यालय की भूमिका अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। नीति के लगभग 70% प्राविधानों का क्रियान्वयन विश्वविद्यालय को अपने स्तर से ही करना है। इस कार्ययोजना के कियान्वयन का आधार शिक्षक हैं। अतः कार्यशालाओं के माध्यम से उनका उन्मुखीकरण (ओरियंटेशन) एवं समय–समय पर नियमित रूप से रिफ्रेशर एवं समीक्षा की उचित व्यवस्था करनी होगी। इस हेतु शैक्षिक संस्थानों के परिवेश में खुलापन एवं अकादमिक वातावरण का भी सृजन करना आवश्यक होगा। इस प्रकार सभी स्तर पर समग्रता से कियान्वयन की योजना से राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 का वास्तविक एवं सुचारू रूप से कियान्वयन हो सकेगा।

2– इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु प्रत्येक विश्वविद्यालय में टास्क फोर्स एवं प्रत्येक महाविद्यालय में 03–05 सदस्यीय कियान्वयन समिति का गठन किए जाने का निर्णय लिया गया है। इस प्रकार के टास्क फोर्स एवं कियान्वयन समिति के माध्यम से सम्बन्धित शिक्षकों एवं अभिभावकों की सहभागिता से नीति का कियान्वयन किया जा सकेगा। जब तक शिक्षकों की सहभागिता नहीं होगी, तब तक वास्तविक एवं जमीनी कियान्वयन सम्भव नहीं हो सकेगा।

3– विश्वविद्यालय स्तर पर गठित NEP-2020 टास्क फोर्स मुख्य रूप से निम्नलिखित कार्यों का सम्पादन करेंगे :–

- विषय विशेषज्ञों से परामर्श
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के विभिन्न पहलुओं के कियान्वयन हेतु कार्यवाही
- शासनादेशों का विश्वविद्यालयों एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों में समुचित कियान्वयन

4– महाविद्यालय स्तर पर गठित NEP-2020 कियान्वयन समिति मुख्य रूप से निम्नलिखित कार्यों का सम्पादन करेंगे :–

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा
- शासनादेशों का समुचित कियान्वयन।

5– प्रत्येक शैक्षिक संस्थान के प्रमुख को सुनिश्चित करना होगा की वहाँ के प्रत्येक शिक्षक ने प्रारूप का पूर्ण रूप से अध्ययन कर लिया है। शिक्षकों की सहभागिता एवं क्रियान्वयन में उनको आने वाली व्यावहारिक कठिनाइयों का समय–समय पर समाधान करना आवश्यक होगा। शिक्षकों और वरिष्ठ छात्रों हेतु संगोष्ठियों का आयोजन जिसमे शोध–पत्र भी मंगवाए जा सकते है तथा आलेख प्रतियोगिता आदि गतिविधियों के माध्यम से भी उनकी सहभागिता सुनिश्चित की जा सकती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के क्रियान्वयन हेतु प्रत्येक शैक्षिक संस्थान द्वारा कम से कम एक संगोष्ठी प्रत्येक माह होनी चाहिए। विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के माध्यम से क्रमबद्ध संगोष्ठियों का आयोजन अपेक्षित है जिसमें शुरूआत में शिक्षा नीति की समग्रता पर एवं दूसरे चरण में उच्च शिक्षा, शिक्षा नीति एवं भारतीय भाषा, शिक्षा नीति एवं भारतीय ज्ञान परम्परा आदि, तीसरे चरण में "मेरू" (मल्टीपल एजूकेशन एण्ड रिसर्च यूनिट), एकेडमिक बैंक ऑफ केडिट, मल्टीपल एग्जिट एण्ड एन्ट्री आदि पर संगोष्ठी, कार्यशालाओं, ई–संगोष्ठियों का आयोजन करना होगा।

6– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कई विश्वविद्यालयों में NEP–2020 टास्क फोर्स का गठन किया गया है। अनुरोध है कि शेष विश्वविद्यालय भी उक्त टास्क फोर्स का गठन करके शासन को दिनांक 25.02.2021 तक कृत कार्यवाही से अवगत कराने का कष्ट करें एवं प्रत्येक महाविद्यालय में NEP–2020 कियान्वयन समिति का गठन करके निदेशक, उच्च शिक्षा, उ0प्र0, प्रयागराज शासन को दिनांक 25.02.2021 तक अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीया,

(मोनिका एस. गर्ग)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या–474(1)/सत्तर–3–2021–तद्दिनॉक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

(1) कुलपति, समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय, उ0प्र0।
(2) अपर सचिव, उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कृपया विश्वविद्यालयों से उक्त कार्यक्रम की सूचना प्राप्त करके संकलित सूचना उच्च शिक्षा अनुभाग–3 के ई–मेल आई0डी0 hesection.3@gmail.com पर दिनांक 25.02.2021 तक उपलब्ध करायें।

आज्ञा से,

(अब्दुल समद)
विशेष सचिव।

शीर्ष प्राथमिकता / समयबद्ध।
संख्या–142 / सत्तर–3–2021–08(35) / 2020टी.सी.1

प्रेषक,

मोनिका एस. गर्ग
अपर मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

1– **निदेशक,**
उच्च शिक्षा, उ0प्र0,
प्रयागराज।

2– **कुलपति,**
समस्त राज्य / निजी विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

उच्च शिक्षा अनुभाग–3 **लखनऊ: दिनाँक: 15 जनवरी, 2021**

विषयः राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में विभिन्न प्रकोष्ठ स्थापित किये जाने के सम्बंध में ।

महोदय

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के प्रभावी एवं समयबद्व क्रियान्वयन हेतु प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में संलग्न सूची के अनुसार प्रकोष्ठों की स्थापना कर नीति में दिये गये प्रावधानों के अन्तर्गत उनका संचालन सुनिश्चित किया जाये। अनुरोध है कि सभी प्रकोष्ठों की स्थापना, संरचना एंव उनके द्वारा किये जा रहे कार्यों को विश्वविद्यालय / महाविद्यालय की वेबसाईट पर नियमित रूप से प्रदर्शित करें तथा अद्यतन स्थिति से शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः– यथोपरि।

भवदीया,

(मोनिका एस. गर्ग)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या– 142 (1) / सत्तर–3–2021–तद्दिनाँकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–
(1) कुलसचिव, समस्त राज्य / निजी विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
(2) समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

(हरेन्द्र कुमार सिंह)
उप सचिव।

Nikhil G.O.

कमांक	प्रकोष्ठ का नाम	कार्य
1	उद्योग–अकादमिक एकीकरण एवं कौशल विकास प्रकोष्ठ (Industry-Academia Integration and Skill Development Cell)	• माध्यमिक, पोलीटैक्निक, आई.टी.आई के साथ उच्च शिक्षा का समन्वय स्थापित करना • व्यवसायिक एवं कौशल शिक्षा के क्षेत्रों की पहचान करना • व्यवसायिक एवं कौशल शिक्षा के प्रायोगिक भाग/इंर्टन्शिप के लिये MoU करना • कौशल विकास के लिये स्थानीय उद्योगों के साथ मिलकर पाठ्यक्रम तैयार करना • स्थानीय व्यवसायिक एवं कौशल शिक्षा के क्षेत्रों से छात्रों को अवगत कराना • छात्रों को आनलाईन व्यवसायिक एवं कौशल शिक्षा कोर्स करने के लिये मदद करना • क्षेत्रीय उद्योगों/संस्थाओं के साथ समन्वय स्थापित कर MoU करना • क्षेत्रीय उद्योगों/संस्थाओं की पहचान कर अध्ययनरत विद्यार्थियों को इंटर्नशिप हेतु उनमें भेजना • संस्था के समझौता–ज्ञापन (MoU) का ड्राफ्ट तैयार करना • संस्था के हित में विभिन्न प्रकार के समझौता–ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर करना • समझौता–ज्ञापन (MoU) की क्रियाशीलता सुनिश्चित करना
2	ऑनलाइन शिक्षा एवं LMS प्रकोष्ठ (Online Education and LMS Cell)	• संस्था में उ0प्र0 ऑनलाइन शिक्षा नीति के अनुरुप विभिन्न कार्य करना • विभिन्न ऑनलाइन पाठ्यक्रमों से छात्रों को अवगत कराना तथा उसके लिये उन्हें प्रेरित करना • संस्था का LMS तैयार कर उसका संचालन सुनिश्चित करना • संस्था के समस्त कार्यालयी कार्यो को डिजिटल माध्यम से कराना • पुस्तकालय में प्री–लोडेड टैब्स उपलब्ध करवाना • संस्थान में ई–लर्निंग पार्क की स्थापना करवाना • अपने क्षेत्रान्तर्गत अथवा संस्था के अंदर पी.पी.पी के आधार पर ई–सुविधा केन्द्र की स्थापना करना जिससे छात्रों को न्यूनतम दर पर 24x7 कम्प्यूटर एवं इंटरनेट की सुविधा प्राप्त हो सके • ई–सुविधा केन्द्र के विभिन्न कार्यो की दर सुनिश्चित करना (कैन्टीन की तरह) जिससे छात्रों को शोषण से बचाया जा सके • ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के क्रेडिट ट्रांसफर में छात्रों की मदद करना
3	शिक्षक प्रशिक्षण प्रकोष्ठ (Teachers' Re-skilling Cell)	• शिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम का वार्षिक कैलेण्डर तैयार कराना • शिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना • शिक्षकों को विभिन्न प्रकार के क्षेत्रीय, राष्ट्रीय एवं

		अर्न्तराष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम से अवगत कराना • भविष्य में प्रयोग होने वाली शिक्षण तकनीकी से शिक्षकों को अवगत कराना
4	अनुसंधान एवं विकास प्रकोष्ठ (Research Development cell)	• उच्च गुणवत्ता के शोध हेतु दिशा–निर्देश तैयार करना • शिक्षकों / विद्यार्थियों को शोध योजना बनाने में मदद करना • विभिन्न प्रकार की शोध अनुदान योजनाओं से शिक्षकों / विद्यार्थियों को अवगत कराना • शोध हेतु उद्योगों / अन्य शिक्षण संस्थानों के साथ अनुबन्ध करना • राष्ट्रीय / अर्न्तराष्ट्रीय स्तर पर द्विपक्षीय शोध करना • शोध हेतु कार्यशालाओं का आयोजन करना
5	संस्थागत विकास योजना प्रकोष्ठ Institutional Development Plan (IDP) Cell	• संस्था के लघु एवं दीर्घ उद्देश्यों (Annual, Five year plan upto15 years) पर आधारित " संस्थागत विकास योजना" तैयार करना • संस्था की IIC स्थापित करना • भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरुप संस्था का IIC पर पंजीकरण सुनिश्चित करना तथा उसके अनुरुप कार्य करना • संस्था का ARIIA में प्रतिभाग सुनिश्चित करना • संस्थान, शिक्षक एवं छात्र मूल्यॉकन के लिये नीति तैयार करना तथा उसके अनुरुप सतत् मूल्यांकन करना • संस्था का NIRF में प्रतिभाग कराना
6	एक्टिविटी क्लब (Activity-Club)	• संस्था में विभिन्न प्रकार की गतिविधियॉं आयोजित करना तथा संस्था के छात्रों को क्षेत्रीय, राष्ट्रीय एवं अर्न्तराष्ट्रीय स्तर पर आयोजित हो रही गतिविधियों में प्रतिभाग करने के लिये प्रेरित करना। • संस्था के छात्रों को सामुदायिक सेवा के लिये प्रेरित करना • सामुदायिक सेवा हेतु वार्षिक कैलेण्डर तैयार करना • संस्थान द्वारा किसी गांव को गोद लेकर उसके विकास में मदद करना • पर्यावरण जागरुकता एवं संरक्षण अभियान चला कर विद्यार्थियों / स्थानीय लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरुक करना • संस्था की वार्षिक ग्रीन आडिट रिपोर्ट तैयार कर उसे वेबसाईट पर प्रदर्शित करना • संस्था के अंदर पर्यावरण संरक्षण (रेन वाटर हार्वेस्टिंग, अक्षय उर्जा, वर्मीकम्पोस्ट, जल संरक्षण, पेपर री–साईक्लिंग आदि) के उपाय करना • संस्था के विद्यार्थियों के लिये भ्रमण कार्यक्रम आयोजित करना • विद्यार्थी भ्रमण के लिये विभिन्न सरकारी / गैर–सरकारी योजनाओं से छात्रों को अवगत कराना तथा उसका लाभ लेना

7	भारतीय भाषा, संस्कृति एवं कला प्रकोष्ठ (Indian Language, Culture and Arts Cell)	• क्षेत्रीय संस्कृति एवं कला की पहचान कर उन पर कार्यक्रम आयोजित करना • क्षेत्रीय संस्कृति एवं कला को पाठ्यक्रम से जोड़ना • क्षेत्रीय, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय संस्कृति एवं कला महोत्सवों में छात्रों को प्रतिभाग कराना • क्षेत्रीय, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय संस्कृति एवं कला महोत्सव आयोजित करना • भारतीय भाषा विकास क्लब की स्थापना करना तथा इससे विभिन्न भारतीय भाषा जानने वाले शिक्षकों एवं विद्यार्थियों को जोड़ना • छात्रों को विभिन्न भारतीय भाषाओं को ऑनलाइन / ऑफलाइन माध्यम से सीखने में मदद करना
8	अंर्तराष्ट्रीय छात्र सहायता प्रकोष्ठ (International students Cell)	• अन्तर्राष्ट्रीय छात्रों की सहायता करना • सरकार द्वारा अंर्तराष्ट्रीय छात्रों को दी जा रही सुविधाओं से अवगत कराना • अध्ययन वीजा दिलाने में मदद करना • वेबसाईट पर अंर्तराष्ट्रीय छात्रों के लिये FAQ अपलोड कराना
9	दिव्यॉग सहायता एवं वंचित समूह सहायता योजना प्रचार–प्रसार प्रकोष्ठ Cell for differently abled students and SEDGs	• वंचित समूहों को संस्था की विभिन्न गतिविधियों में प्रतिभाग करने के लिये प्रेरित करना • वंचित समूहों के लिये हेल्प–डेस्क की स्थापना करना • वंचित समूहों के लिये चल रही योजनाओं से उन्हें अवगत कराना तथा योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में उनकी मदद करना • दिव्यॉगों के लिये हेल्प–डेस्क की स्थापना करना • संस्था में दिव्यॉग आवश्यकताओं को सुनिश्चित करना • दिव्यॉगों के लिये आवश्यक कार्य कराने हेतु संस्था प्रमुख को अवगत कराना • दिव्यॉगों के लिये चल रही योजनाओं से उन्हें अवगत कराना तथा योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में उनकी मदद करना
10	मेन्टरिंग एवं मनोवैज्ञानिक परामर्श प्रकोष्ठ (Mentoring and Counselling cell)	• संस्था के छात्रों के लिये मनोवैज्ञानिक परामर्श कार्यशालायें आयोजित करना • मनोवैज्ञानिक समस्याओं से जूझ रहे छात्रों को मनोवैज्ञानिक मदद देना तथा उनके परिवार को अवगत कराना • प्रत्येक छात्र के लिये प्रवेश के समय एक शिक्षक को मेंन्टर नियुक्त करना • संस्था की मेंन्टर–मेंन्टी पॉलिसी तैयार करना • छात्रों को व्यवसायिक सहायता देना • छात्रों के व्यक्तित्व विकास में मदद करना • छात्रों में जीवन कौशल एवं व्यक्तित्व विकास के लिये कार्यक्रम आयोजित करना

शीर्ष प्राथमिकता/समयबद्ध
संख्या–1065/सत्तर–3–2021–16(26)/2011

प्रेषक,

मोनिका एस. गर्ग,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. कुलपति,
समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

2. निदेशक,
उच्च शिक्षा, उ0प्र0,
प्रयागराज।

उच्च शिक्षा अनुभाग–3

लखनऊ: दिनॉक 20 अप्रैल, 2021

विषय– उत्तर प्रदेश के समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के अनुरुप तैयार न्यूनतम समान पाठ्यक्रम शैक्षिक सत्र 2021–22 से लागू किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि समान पाठ्यकम लागू करने के सम्बन्ध में राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के अनुरुप पुनर्संयोजित करने के लिये शासनादेश संख्या 5240/सत्तर–3–2020 दिनॉक 26–10–2020 द्वारा राज्य स्तरीय समिति तथा संकायवार सुपरवाइजरी समितियों का गठन किया गया है। साथ ही विषयवार विशेषज्ञ समूहों का भी गठन किया गया। पाठ्यकमों को पुनर्संयोजित करने के लिये लगभग 150 विषय विशेषज्ञों के द्वारा राज्य स्तरीय समिति एवं राज्य संकायवार सुपरवाइजरी समितियों के साथ 200 से अधिक वर्चुअल बैठकों के माध्यम से चर्चा कर तैयार न्यूनतम समान पाठ्यक्रम को प्रदेश में स्टेकहोल्डरर्स से सुझाव प्राप्त करने के लिये राज्य उच्च शिक्षा परिषद की वेबसाइट पर अपलोड किया गया।

प्रो0 मानस पाण्डेय
समन्वयक
IQAC
सह कुलपति
(शैक्षणिक)

तद्कम में कुल 416 फीडबैक प्राप्त हुए, जिसमें से 27 प्रतिशत फीड बैक को विषय विशेषज्ञों द्वारा समिति में चर्चा करने के पश्चात आवश्यकतानुसार पाठ्यक्रमों में सम्मिलित किया गया। फीडबैक के अनुसार संशोधन करने के पश्चात प्रथम फेज में स्नातक कला एवं मानविकी (16 विषय), भाषा (4 विषय), विज्ञान (9 विषय), बी0कॉम, बी0एड0, बी0बी0ए0, बी0एल0आई0एस0 तथा अनिवार्य को–करीकुलर (6 विषय) के निम्नलिखित विषयों के न्यूनतम समान पाठ्यक्रम वेबसाईट (http://uphed.gov.in/page/council /en/nep-2020) पर अपलोड कर दिये गये हैं तथा शेष विषयों तथा स्नातकोत्तर के अंतिम रुप से तैयार पाठ्यक्रम भी वेबसाईट पर अपलोड कर दिये जायेंगे।

कला एवं मानविकी विषय	विज्ञान विषय	भाषा विषय	अनिवार्य को–करीकुलर विषय	अन्य संकाय
एंथ्रोपोलोजी	✓ कृषि	✓ संस्कृत	खाद्य, पोषण एंव स्वच्छता	✓ बी0कॉम
✓ रक्षा एवं संराचनात्मक अध्ययन	✓ वनस्पति विज्ञान	✓ हिन्दी	प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	बी0एड0
✓ अर्थशास्त्र	✓ रसायन शास्त्र	✓ अंग्रेजी	✓ शारीरिक शिक्षा एवं योग	✓ बी0बी0ए0
✓ शिक्षाशास्त्र	✓ कम्प्यूटर विज्ञान	✓ उर्दू	मानव मूल्य एवं पर्यावरण अध्ययन	बी0एल0आई0एस0
ललित कला	✓ भूगर्भ शास्त्र		विश्लेषणात्मक योग्यता एवं डिजिटल अवेयरनैस	
✓ भूगोल	✓ गणित		संचार कौशल एवं व्यक्तितव विकास	

इतिहास (प्राचीन)	गणितक विज्ञान			
इतिहास(आधुनिक)	संख्यिकी			
गृह विज्ञान	जन्तु विज्ञान			
विधि				
दर्शनशास्त्र				
शारीरिक शिक्षा				
राजनीति शास्त्र				
मनोविज्ञान				
समाजशास्त्र				
समाजिक कार्य				

3– शासनादेश संख्या–438/सत्तर–3–2021(16)26/2011 दिनॉक 08–02–2021 के द्वारा पूर्व में नये पाठयक्रम की विशेषतायें, संरचना का आधार, सी0बी0सी0एस0, क्रेडिट, क्रेडिट स्थानंतरण, अनिवार्य को–करीकुलर एंव विषय चुनाव एंव उन्हें लागू करने के सम्बंध में विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत किये गये हैं।

4– अनुरोध है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के अनुरुप तैयार किए गए न्यूनतम समान पाठयक्रम को ध्यान में रखते हुए दिनांक 15.05.2021 तक विश्वविद्यालय की बोर्ड आफ स्टडीज द्वारा निम्नलिखित दिशा–निर्देशों/प्रकिया को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय के पाठयकमों में आवश्यक संशोधन कर उसे शैक्षिक सत्र 2021–22 से लागू करने हेतु अन्य आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करायें, जिससे शैक्षिक सत्र 2021–22 से प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 का क्रियान्वयन किया जा सके:–

- न्यूनतम समान पाठयक्रम का 70 प्रतिशत पाठयक्रम प्रत्येक विश्वविद्यालय में लागू होगा, शेष 30 प्रतिशत पाठ्कम विश्वविद्यालय अपनी आवश्यकताओं के अनुरुप लागू कर सकेंगे । न्यूनतम समान पाठयक्रम की संरचना में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जायेगा ।
- प्रत्येक विषय के पेपर के शीर्षक सभी विश्वविद्यालयों में समान होंगे जिससे भविष्य में आसानी से प्रदेश स्थित विश्वविद्यालयों के क्रेडिट स्थानांतरित हो सकें।
- विश्वविद्यालयों की बोर्ड आफ स्टडीज द्वारा स्वीकृत पाठयक्रम की प्रति उच्च शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु अपर सचिव, राज्य उच्च शिक्षा परिषद उ0प्र0 को उपलब्ध करायी जाये।
- उच्च शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर शेष पाठयक्रम भी समय–समय पर उपलब्ध कराये जा रहे हैं, जिनको भी उपरोक्तानुसार विश्वविद्यालय की बोर्ड आफ स्टडीज के द्वारा अधिकतम 30 प्रतिशत तक आवश्यक परिवर्तन एवं संशोधन के पश्चात अनुमोदन कर परिषद को उपलब्ध कराया जायेगा ।

विषय चुनाव एवं प्रवेश प्रक्रिया–

- सर्वप्रथम विद्यार्थी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में अपने संकाय (Science/Arts/ Commerce/ Management etc) का चुनाव करेगा ।
- विश्वविद्यालय/महाविद्यालय उपलब्ध सीट एवं नियमों के आधार पर विद्यार्थी को संबधित संकाय में प्रवेश देगा ।
- तत्पश्चात विद्यार्थी तीन मुख्य विषयों (Major) का चुनाव करेगा, जिनमें से दो मुख्य विषय उसके चुने हुए संकाय से लेना अनिवार्य होगा तथा तीसरा मुख्य विषय वह अपने संकाय अथवा दूसरे संकाय से ले सकता है ।
- इसके बाद विद्यार्थी को प्रथम चार सेमेस्टर हेतु एक माइनर विषय किसी दूसरे संकाय से लेना अनिवार्य होगा। विश्वविद्यालय/महाविद्यालय द्वारा उपलब्ध सीटों के आधार पर माइनर विषय आवंटित किया जायेगा।
- प्रत्येक विद्यार्थी को प्रथम चार सेमेस्टर के प्रत्येक सेमेस्टर में एक रोजगार परक पाठयक्रम लेना होगा।

किसी भी पाठयक्रम में प्रवेश, निकास एवं पुनः प्रवेश की प्रक्रिया–

- विद्यार्थी को एक वर्ष (दो सेमेस्टर) पूर्ण करने पर सर्टिफिकेट के साथ निकास (Exit) तथा दो वर्ष (चार सैमस्टर) पूर्ण करने पर डिप्लोमा के साथ निकास की सुविधा उपलब्ध होगी ।
- विद्यार्थी को तीन वर्ष (छः सेमेस्टर) पूर्ण करने पर ही डिग्री प्राप्त होगी ।
- विद्यार्थी निकास के बाद अगले स्तर में पुनः प्रवेश ले सकेगा ।
- Prerequisite के आधार पर विद्यार्थी को द्वितीय/तृतीय वर्ष में विषय परिवर्तन की सशर्त सुविधा उपलब्ध होगी ।

डिग्री का संकाय एवं पूर्ण करने की अवधि–

- विद्यार्थी जिस संकाय से तीन वर्ष में न्यूनतम् 60 प्रतिशत क्रेडिट प्राप्त करेगा, उसी में उसको डिग्री दी जायेगी एवं तद्नुसार स्नातकोत्तर में प्रवेश की सुविधा होगी ।
- यदि विद्यार्थी तीन वर्ष में किसी एक संकाय में न्यूनतम् 60 प्रतिशत क्रेडिट प्राप्त नहीं कर पाता है, तो उसे बैचलर आफ लिबरल एजूकेशन की डिग्री दी जायेगी तथा वह उन विषयों में स्नातकोत्तर कर सकेगा जिनमें स्नातक स्तर पर किसी विषय के prerequisite की आवश्यकता नहीं होगी।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के संदर्भ में विद्यार्थी को प्राप्त होने वाली अन्य सुविधायें–

- विद्यार्थी मान्यता प्राप्त संस्थाओं से 20 प्रतिशत तक यू0जी0सी0/शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अनुमन्य सीमा तक क्रेडिट आनलाईन कोर्स के माध्यम से प्राप्त कर सकेंगे तथा उसके अनुपात में कोर्स/विषय छोड सकेंगे । यू0जी0सी0 के नियमों के अनुसार आनलाईन कोर्स के क्रेडिट सभी विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों को जोड़ने होंगे ।
- विद्यार्थी की आवश्यकता के अनुसार निकट के अन्य शिक्षण संस्थान से किसी विशेष विषय को अध्ययन की सुविधा विश्वविद्यालय द्वारा अनुमन्य की जा सकती है।
- यदि कोई योग्य छात्र कम समय में डिग्री के लिये आवश्यक क्रेडिट प्राप्त कर लेगा तो न्यूनतम क्रेडिट प्राप्त करने पर अंतराल की सुविधा होगी, परन्तु डिग्री तीन वर्ष बाद ही मिलेगी । अंतराल के दौरान वह किसी भी कार्य को करने के लिये स्वतंत्र होगा ।
- विद्यार्थी को कोर्स आधार पर पंजीकरण की सुविधा प्राप्त होगी, जिस आधार पर वे किसी एक कोर्स का अध्ययन कर सकेंगे।
- अर्जित किये गये क्रेडिट का उपयोग विद्यार्थी सिर्फ एक उपाधि के लिये ही कर सकेगा । एक बार किसी क्रेडिट का प्रयोग करने के पश्चात वह दूसरी उपाधि के लिये उसका प्रयोग नहीं कर सकेगा ।

परीक्षा व्यवस्था –

- सभी प्रश्नपत्र 100 अंक के होंगे, जिनको क्रेडिट एंव फार्मूला के अनुसार परसेंन्टाईल एवं ग्रेड में सॉफ्टवेयर द्वारा परिवर्तित कर दिया जायेगा ।
- सभी विषयों की परीक्षा 25 प्रतिशत सतत आंतरिक मूल्यांकन एवं 75 प्रतिशत वाह्य मूल्यांकन के आधार पर की जायेगी ।
- सभी विषयों की लिखित परीक्षा होगी एवं अनिवार्य को–करीकुलर विषय की परीक्षा बहु विकल्पीय (MCQ) आधार पर होगी ।

5– अग्रेतर यह अवगत कराना है कि उक्त संरचना मूल और अनुप्रयुक्त विज्ञान, कला, सामाजिक विज्ञान, मानविकी, वाणिज्य, भारतीय एवं विदेशी भाषाएं, प्रबंधन, कृषि तथा विधि संकायों पर लागू होंगी।

6– स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष के 46 क्रेडिट होंगे जिसमें तीन प्रमुख विषय, एक माइनर विषय, दो

सह–पाठ्यक्रम एवं दो व्यावसायिक पाठ्यक्रम होंगे जिसे उत्तीर्ण करने पर प्रमाण पत्र (Certificate) प्रदान किया जा सकता है।

द्वितीय वर्ष के 92 क्रेडिट होंगे, जिसमें तीन प्रमुख विषय, एक माइनर विषय, दो सह–पाठ्यक्रम तथा दो व्यावसायिक पाठ्यक्रम होंगे जिसे उत्तीर्ण करने पर डिप्लोमा (Diploma) प्रदान किया जा सकता है।

तृतीय वर्ष के 138 क्रेडिट होंगे जिसमें दो प्रमुख विषय, दो सह–पाठ्यक्रम/एक व्यावसायिक पाठ्यक्रम तथा एक माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट होंगे जिसे उत्तीर्ण करने पर स्नातक की डिग्री (Bachelor's Degree) प्रदान की जायेगी।

चौथे वर्ष के 194 क्रेडिट होंगे जिसमें एक प्रमुख विषय, एक माइनर विषय तथा एक प्रमुख अनुसंधान परियोजना सम्मिलित होगी जिसे उत्तीर्ण करने पर शोध के साथ स्नातक की डिग्री (Bachelor's Degree with Research) प्रदान की जायेगी।

पांचवें वर्ष के 246 क्रेडिट होंगे जिसमें एक प्रमुख विषय, एक माइनर विषय एवं एक प्रमुख अनुसंधान परियोजना सम्मिलित होगी जिसे उत्तीर्ण करने के उपरान्त मास्टर डिग्री (Master's Degree) प्रदान की जायेगी।

छठे वर्ष के उपरान्त Post Graduate Diploma in Research (PGDR) प्रदान किया जा सकता है।

सातवें और आठवें वर्ष में अनुसंधान पद्धति तथा प्रमुख विषय एवं एक प्रमुख अनुसंधान परियोजना सम्मिलित होगी जिसे उत्तीर्ण करने के उपरान्त पी–एच0डी0 (Ph.D.) की उपाधि प्रदान की जायेगी।

7– प्रत्येक विषय के प्रमुख कोर पाठ्यक्रमों के लिए सामान्यतः न्यूनतम 70 प्रतिशत पाठ्यक्रम उपरोक्तानुसार लागू किया जायेगा। स्नातक एवं स्नातकोत्तर में प्रत्येक सेमेस्टर के समान पेपर शीर्षक होंगे। यूनिफॉर्म क्रेडिट और ग्रेडिंग सिस्टम का निर्धारण किया जायेगा। प्रवेश, निकास एवं पुनः प्रवेश व्यवस्था प्रत्येक विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

8– पहले दो वर्षों में कौशल विकास से सम्बन्धित पाठ्यक्रम अनिवार्य होगा। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग के साथ एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित किया गया है, जिसके सम्बन्ध में शासन के पत्र संख्या–602/सत्तर–3–2021–08(35)/2020, दिनांक 22.02.2021 द्वारा अवगत कराया गया है।

9– अपेक्षा है कि विश्वविद्यालय स्तर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के सफल क्रियान्वयन हेतु अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट तथा लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम पर समयबद्ध रूप से कार्य करते हुए 30 जून, 2021 तक इन्हें पूर्ण कर लिया जाये, साथ ही एम0एस0एम0ई0, आई0टी0आई0 और पॉलीटेक्निक के साथ एम0ओ0यू0 किये जाये ताकि विद्यार्थियों को शैक्षिक लाभ मिल सके। इसके अतिरिक्त, विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों की आधारभूत सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए एवं संसाधनों में वृद्धि करने के लिए विश्वविद्यालय स्तर पर प्रभावी योजना तैयार कर कार्यवाही की जानी चाहिए।

कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीया,

(मोनिका एस.गर्ग)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या– 1065 (1)/सत्तर–3–2021–तद्दिनाँक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

(1) कुलसचिव, समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय, उ0प्र0।
(2) समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(3) अपर सचिव, उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ।

आज्ञा से,

(अब्दुल समद)
विशेष सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा अनुभाग–3
संख्या–1567/सत्तर–3–2021–16(26)/2011टी.सी.
लखनऊ : दिनांक : 13 जुलाई, 2021

1. **कुलसचिव**
समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय,
उ0प्र0।

2. **निदेशक,**
उच्च शिक्षा, उ0प्र0,
प्रयागराज।

कुलसचिव कार्यालय
दिनांक 14.7.21
पंजिका पृष्ठ सं. 16
पत्रांक सं. 191
हस्ताक्षर

राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 लागू किए जाने हेतु जारी शासनादेश दिनांक 20.04.2021 के संदर्भ में प्राप्त पृच्छाओं के सम्बन्ध में विश्वविद्यालयों द्वारा उपलब्ध करायी गई सूची के अनुसार त्रिवर्षीय स्नातक (तीन विषय विकल्प आधारित) स्तर के 62 पाठ्यक्रम तैयार किये जा चुके हैं, जिन्हें ई–मेल द्वारा आपको उपलब्ध करा दिया गया है तथा उ0प्र0राज्य उच्च शिक्षा परिषद की वेबसाईट (http://uphed.gov.in/Council/NEETI2021.aspx) पर अपलोड किया जा चुका है । स्नातक (शोध सहित) एवं परास्नातक विषयों के पाठ्यक्रमों की सूची एवं जानकारी कालान्तर में उपलब्ध करा दी जायेगी। यदि उ0प्र0राज्य उच्च शिक्षा परिषद की वेबसाईट में वर्णित विषयों के अतिरिक्त आपके विश्वविद्यालय में स्नातक स्तर पर कोई अन्य विषय संचालित है, तो उसका पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए तीन विषय विशेषज्ञों के नाम गूगल लिंक (https://forms.gle/vPP7c7Av2kUFGJiX9) पर एक सप्ताह के अंदर उपलब्ध कराया जाय। यदि कोई विषय एक से अधिक विश्वविद्यालयों में चल रहा हो, तो वह भी सभी विश्वविद्यालयों में न्यूनतम समान पाठ्यक्रम के अनुरुप ही लागू होगा तथा उन विश्वविद्यालयों द्वारा उपलब्ध कराए गए विशेषज्ञों को सम्मिलित करते हुए 'विषय विशेषज्ञ समूह' गठित किया जाएगा जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के अनुरूप न्यूनतम समान पाठ्यक्रम तैयार करेंगें। स्नातक स्तर पर तृतीय वर्ष में संचालित मुख्य विषय के किसी पेपर का इलैक्टिव पेपर के रूप में अन्य पाठ्यक्रम (सिलेबस) का सुझाव विषय विशेषज्ञों से आमंत्रित है वे अपने सुझाव गूगल लिंक (https://forms.gle/vPP7c7Av2kUFGJiX9) पर दे सकते हैं।

2. शासनादेश संख्या 1065/सत्तर–3–2021–16 (26)/2011 दिनॉक 20–04–2021 के तारतम्य में शैक्षणिक सत्र 2021–22 से राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु न्यूनतम समान पाठ्यक्रम एवं "च्वाइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम" (CBCS) पर आधारित सेमेस्टर सिस्टम के संबंध में प्राप्त पृच्छाओं के निराकरण हेतु निम्नवत् स्पष्ट किया जाता है:–

1. **न्यूनतम समान पाठ्यक्रम(Minimum Common Syllabus)**

1.1 विश्वविद्यालय न्यूनतम समान पाठ्यक्रम के रुप में उपलब्ध कराये गये पाठ्यक्रम में से कम से कम 70 प्रतिशत समान रखेंगे। उदाहरण के लिये यदि किसी पेपर हेतु तैयार किए गए न्यूनतम समान पाठ्यक्रम में 100 टॉपिक हैं, तो विश्वविद्यालय उनमें से कम से कम 70 टॉपिक रखेंगे तथा उसके अतिरिक्त 30, 40, 50 या कितने भी टॉपिक विश्वविद्यालय की आवश्यकताओं के अनुरुप रख सकते हैं।

1.2 पाठ्यक्रम संरचना में एक पेपर के क्रेडिट निर्धारित किए गए हैं; उस पेपर में सम्मिलित टॉपिक्स हेतु कितने–कितने क्रेडिट (व्याख्यानों की संख्या) रखे जाएगे, यह विश्वविद्यालय तय करेगा।

1.3 सूच्य है कि वर्तमान में विश्वविद्यालयों में संचालित तीन वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम/कार्यक्रम के अधिकांश विषयों के कन्टेन्ट में 70–80 प्रतिशत तक टॉपिक तीन वर्ष में समान हैं तथा तीन वर्ष के दौरान किसी एक वर्ष में पढाये जा रहे हैं।

2. **क्षेत्र (Scope)-**

2.1 यह व्यवस्था चिकित्सा (Medicine and Dental etc.)एवं तकनीकी शिक्षा (B.Tech, MCA etc.)के अतिरिक्त सभी संकायों के कार्यक्रमों पर लागू होगी।

2.2 विधि (बी0ए0–एल0एल0बी0,बी0एस0सी–एल0एल0बी0, एल0एल0बी0, एल0एल0एम0, इत्यादि), शिक्षक शिक्षा (बी.एड., एम.एड., बी.पी.एड.,एम.पी.एड., इत्यादि) के लिये व्यवस्था का निर्धारण उनकी नियामक संस्थाओं के एन.ई.पी–2020 के अनुरुप नए पाठ्यक्रम व संरचना के आने पर किया जायेगा।

3. **परिभाषाएं–**

3.1 **पाठ्यक्रम/कार्यक्रम (Programme)**–
एक वर्ष का सर्टिफिकेट, दो वर्ष का डिप्लोमा, तीन वर्ष की स्नातक डिग्री, चार वर्ष की स्नातक (शोध सहित) डिग्री, पॉच वर्ष की स्नातकोत्तर डिग्री तथा शोध उपाधि यथा–बी0ए0, बी0एस0सी0, बी0कॉम, बी0एड0, बी0बी0ए0, बी0एल0ई0, एम0ए0, एम0एस0सी0, एम0कॉम, एल0एल0बी0, पी0एच0डी0 इत्यादि।

3.2 **संकाय (Faculty)-**

3.2.1 संकाय विषयों का समूह है यथा कला संकाय, विज्ञान संकाय, वाणिज्य संकाय इत्यादि।

3.2.2 विभिन्न विश्वविद्यालय में जो संकाय एवं प्रशासनिक व्यवस्था चल रही है वह यथावत् रहेगी। संकायों का गठन किस प्रकार किया जाएगा, यह विश्वविद्यालय स्तर पर तय किया जाता है।

3.2.3 छात्रों को बहुविषयकता उपलब्ध कराने के लिये संकायों में विषयों के वर्गीकरण एवं विषय कोडिंग की व्यवस्था शासनादेश संख्या 1267/सत्तर–3–2021–16 (26)/2011 दिनॉक 15–06–2021 के अनुसार होगी । भाषा संकाय एवं ग्रामीण अध्ययन संकाय को बहुविषयकता के लिये अलग संकाय माना जायेगा किन्तु उन्हें डिग्री कला संकाय (B.A.)की मिलेगी ।

3.3 **विषय (Subject)**-यथा

3.3.1 संस्कृत, हिन्दी, जन्तु विज्ञान, इतिहास आदि ।

3.3.2 एक विषय एक ही संकाय में सूचीबद्ध होगा ।

3.4 **कोर्स/पेपर/प्रश्नपत्र (Course/Paper)**- यथा

3.4.1 एक विषय के विभिन्न थ्योरी/प्रैक्टिकल के पेपर को कोर्स/पेपर/प्रश्नपत्र कहा जायेगा।

3.4.2 थ्योरी और प्रैक्टिकल के पेपर्स/प्रश्नपत्रों का कोड अलग–अलग होगा ।

4. **पाठ्यक्रम/कार्यक्रम लागू करने की समय सारणी**

सभी विश्वविद्यालय स्वयं तथा अपने क्षेत्रान्तर्गत आने वाले कालेजों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के अनुरुप तैयार न्यूनतम समान पाठ्यक्रम को निम्नानुसार लागू करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें :–

4.1 तीन विषय वाले सभी त्रिवर्षीय पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों (बी0ए0, बी0एस0सी0 आदि) व बी0कॉम0 में सी0बी0सी0एस0 आधारित नवीन पाठ्यक्रम शैक्षणिक सत्र 2021–22 से लागू होगा।

4.2 स्नातक (शोध सहित) एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों में सी0बी0सी0एस0 आधारित नवीन पाठ्यक्रम शैक्षणिक सत्र 2022–23 से लागू होगा।

4.3 बी0ए0/बी0एस0सी0 ऑनर्स तथा एकल विषय स्नातक कार्यक्रमों में सी0बी0सी0एस0 आधारित नवीन पाठ्यक्रम शैक्षणिक सत्र 2022–23 से लागू होगा।

4.4 पी0एच0डी0कार्यक्रम में नवीन व्यवस्था सत्र 2022–23 से लागू होगी ।

5. मुख्य (मेजर) विषय तथा माइनर इलेक्टिव पेपर

5.1 विद्यार्थी को प्रवेश के समय एक संकाय (कला, विज्ञान, वाणिज्य आदि) का चुनाव करना होगा और उसे उस संकाय के दो मुख्य (मेजर) विषयों का चुनाव करना होगा। यह संकाय विद्यार्थी का अपना संकाय (Own Faculty) कहलायेगा जिसका अध्ययन वह तीन वर्ष (प्रथम से छठे सेमेस्टर) तक कर सकता है।

5.2 तीसरे मुख्य (मेजर) विषय का चुनाव विद्यार्थी किसी भी संकाय (अपने संकाय सहित) से कर सकता है।

5.3 विद्यार्थी द्वितीय/तृतीय वर्ष में मुख्य विषय बदल सकता है अथवा उनके क्रम में परिवर्तन कर सकता है ।

5.4 छात्र को विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों में विषयों की उपलब्धता के आधार पर नियमानुसार विषय परिवर्तन की सुविधा होगी, परन्तु वह एक वर्ष के बाद ही विषय परिवर्तित कर सकता है, एक सेमेस्टर के बाद नहीं ।

5.5 माइनर इलैक्टिव कोर्स किसी भी विषय का पेपर (4/5/6 क्रेडिट) होगा, न कि पूर्ण विषय।

5.6 माइनर इलैक्टिव पेपर छात्र को किसी भी संकाय (Own faculty or Other faculty)से लेना होगा । इसके लिये किसी भी pre-requisiteकी आवश्यकता नहीं होगी ।

5.7 बहुविषयक्ता (Multidisplinarity)सुनिश्चत करने के लिये स्नातक स्तर पर माइनर इलैक्टिव पेपर सभी छात्रों को किसी भी चौथे विषय (उसके द्वारा लिए गए तीन मुख्य विषयों के अतिरिक्त) से लेना होगा ।

5.8 **तीसरे मुख्य (मेजर) विषय तथा माइनर इलेक्टिव पेपर का चयन छात्र द्वारा इस प्रकार किया जाएगा कि इनमें से कम से कम एक अनिवार्यतः अपने संकाय के अतिरिक्त अन्य संकाय (Other faculty) से हो ।**

5.9 स्नातकोत्तर स्तर (प्रथम वर्ष) पर माइनर इलेक्टिव पेपर का चुनाव अन्य संकाय से करना होगा।

5.10 विद्यार्थी को प्रथम, द्वितीय वर्ष (स्नातक) एवं चतुर्थ वर्ष (स्नातकोत्तर) में माइनर इलैक्टिव विषय (एक माइनर पेपर/प्रति वर्ष) लेना अनिवार्य होगा । विश्वविद्यालय/महाविद्यालय उपलब्ध सीटों के आधार पर माइनर विषय के पेपर को आवंटित कर सकता है। तृतीय, पॉचवें एवं छठवें वर्ष में माइनर इलैक्टिव पेपर अनिवार्य नहीं होगा।

5.11 विद्यार्थी अपनी सुविधा से सम अथवा विषम सेमेस्टर में उपलब्ध माइनर इलैक्टिव पेपर का चुनाव कर सकता है।

5.12 माइनर इलैक्टिव पेपर का चुनाव संस्थान में संचालित विषयों के पेपर में से किया जायेगा । चुने हुए माइनर पेपर की कक्षायें फैक्लटी में संचालित उसी कोर्स की कक्षाओं के साथ ही होंगी तथा उसकी परीक्षा भी उसी के साथ होंगी।

5.13 सभी विषय उपलब्ध संसाधनों के आधार पर अन्य संकाय के छात्रों के लिये माइनर इलैक्टिव पेपर (4 केडिट का) तैयार कर सकते हैं। ऐसे माइनर इलैक्टिव कोर्स/पेपर का पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय की बोर्ड आफ स्टडीज, विद्धत परिषद इत्यादि में नियमानुसार अनुमोदित कराया जायेगा। इस प्रकार के इलैक्टिव पेपर की कक्षायें विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों में अलग से होगीं एवं परीक्षा विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुसार आयोजित होंगी।

6. कौशल विकास कोर्स (Vocational/ Skill development Courses)

6.1 स्नातक स्तर के प्रत्येक विद्यार्थी को प्रथम दो वर्षो (चार सेमेस्टरर्स) के प्रत्येक सेमेस्टर में 3 क्रेडिट का एक कौशल विकास कोर्स (3x4=12क्रेडिट के कुल चार पाठ्यक्रम) करना होगा।

7. **सह–विषय/कोर्स (Co-Curricular Courses)**

7.1 स्नातक स्तर के प्रत्येक विद्यार्थी को तीन वर्षा (छः सेमेस्टरर्स) के प्रत्येक सेमेस्टर में एक सह–विषय/कोर्स करना अनिवार्य होगा ।

7.2 इन छः सह–विषयों के पाठ्यक्रम उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद की वेबसाईट पर उपलब्ध हैं।

7.3 हर सह–विषय/कोर्स को 40 प्रतिशत अंको के साथ विद्यार्थी को उत्तीर्ण करना होगा । विद्यार्थी की ग्रेड शीट पर इनके प्राप्तांकों पर आधारित ग्रेड तो अंकित होंगे, परन्तु उन्हें सी.जी.पी.ए. की गणना में सम्मलित नहीं किया जायेगा ।

8. **शोध परियोजना (Research Project)**

8.1 स्नातक/स्नातकोत्तर/पी.जी.डी.आर. स्तर पर विद्यार्थी को प्रत्येक सेमेस्टर (पांचवें से ग्यारवें सेमेस्टर तक) में शोध परियोजना करनी होगी । विद्यार्थी को तीसरे वर्ष में लघु शोध परियोजना तथा चतुर्थ व पंचम वर्ष में वृहद शोध परियोजना करनी होगी । पी.जी. डी.आर में शोध परियोजना का स्वरुप विश्वविद्यालय अपने प्री–पी.एच.डी. कोर्स वर्क के अनुसार निर्धारित करेगा।

8.2 विद्यार्थी द्वारा चुने गये तीसरे वर्ष के दो मुख्य विषयों में से किसी एक विषय एवं चतुर्थ, पंचम, षष्टम वर्ष के मुख्य विषय से सम्बंधित शोध परियोजना करनी होगी। यह शोध परियोजना interdisciplinary भी हो सकती है । यह शोध परियोजना इन्डसट्रियल ट्रेनिंग/इर्न्टरनशिप/ सर्वे वर्क इत्यादि के रुप में भी हो सकती है ।

8.3 शोध परियोजना एक शिक्षक सुपरवाईजर के निर्देशन में की जायेगी, एक अन्य को–सुपरवाईजर किसी उद्योग/कम्पनी/तकनीकि संस्थान/शोध संस्थान से लिया जा सकता है ।

8.4 विद्यार्थी वर्ष के अंत में दोनों सेमेस्टर में की गई शोध परियोजना का संयुक्त प्रबंध (Report/Dissertaion) जमा करेगा, जिसका मूल्यॉकन वर्ष के अंत में सुपरवाईजर एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामित वाह्य परीक्षक द्वारा संयुक्त रुप से 100 अंकों में से किया जायेगा।

8.5 स्नातक स्तर एवं पी.जी.डी.आर. के विद्यार्थी की ग्रेड शीट पर शोध परियोजना के प्राप्तांकों पर आधारित ग्रेड तो अंकित होंगे परन्तु उन्हें सी.जी.पी.ए. की गणना में सम्मलित नहीं किया जायेगा।

8.6 स्नातक (शोध सहित) एवं स्नातकोत्तर के विद्यार्थी को प्रत्येक सेमेस्टर में चार क्रेडिट की शोध परियोजना करनी होगी। शोध परियोजना के प्राप्तांकों पर आधारित ग्रेड अंकित होंगे तथा उन्हें सी.जी.पी.ए. की गणना में भी सम्मलित किया जायेगा।

9. **क्रेडिट एंव क्रेडिट निर्धारण**

9.1 थ्योरी के एक क्रेडिट के पेपर में एक घंटा/प्रति सप्ताह का शिक्षण कार्य होगा, अर्थात एक सेमेस्टर के 15 सप्ताह में 15 घंटे का शिक्षण कराना होगा।

9.2 प्रैक्टिकल/इर्न्टनशिप/फील्ड वर्क आदि के एक क्रेडिट के पेपर में दो घंटे/प्रति सप्ताह का शिक्षण कार्य होगा, अर्थात एक सेमेस्टर के 15 सप्ताह में 30 घंटे का प्रैक्टिकल/इर्न्टनशिप/फील्ड वर्क आदि कराना होगा। शिक्षक के कार्यभार की गणना में थ्योरी के एक घंटे का कार्यभार प्रैक्टिकल/इन्टर्नशिप/फील्ड वर्क आदि के दो घंटे के कार्यभार के बराबर होगा।

9.3 क्रेडिट सम्बन्धित समस्त कार्य राज्य स्तरीय "ऐकेडमिक बैंक आफ क्रेडिट" के माध्यम से किये जायेंगे, जिसके दिशा–निर्देश अलग से जारी किये जायेंगे।

9.4 विद्यार्थी न्यूनतम 46 क्रेडिट अर्जित करने पर एक वर्षीय सर्टीफिकेट, न्यूनतम 92 क्रेडिट अर्जित करने पर द्विवर्षीय डिप्लोमा तथा न्यूनतम 132 क्रेडिट अर्जित करने पर त्रिवर्षीय स्नातक डिग्री ले सकता है । इससे आगे विद्यार्थी न्यूनतम 184 क्रेडिट

अर्जित करने पर चर्तुवर्षीय स्नातक (शोध सहित) डिग्री, न्यूनतम 232 क्रेडिट अर्जित करने पर स्नातकोत्तर डिग्री तथा न्यूनतम 248 क्रेडिट अर्जित करने पर पी.जी.डी.आर. ले सकता है ।

एक बार क्रेडिट का उपयोग करने के पश्चात विद्यार्थी उन पेपर के क्रेडिट का उपयोग पुनः नहीं कर सकेगा । उदाहरण के लिये यदि कोई छात्र एक वर्ष के बाद 46 क्रेडिट का प्रयोग कर सर्टीफिकेट प्राप्त करता है तो उसके क्रेडिट खर्च माने जायेंगे । यदि वह कुछ वर्षों बाद डिप्लोमा लेना चाहता है, तो वह या तो अपना मूल सर्टीफिकेट विश्वविद्यालय में जमा (surrender) कर 46 क्रेडिट को खाते में री–क्रेडिट (re-credit) करेगा अथवा नए 46 क्रेडिट पुनः जमा करेगा तथा जिसके आधार पर द्वितीय वर्ष (वास्तविक तृतीय वर्ष) में 92 (46+46)क्रेडिट अर्जित कर डिप्लोमा ले सकता है । इसी तरह की व्यवस्था आगामी वर्षों के लिये भी होगी । यदि विद्यार्थी लगातार अध्ययन करता है तथा सर्टीफिकेट/डिप्लोमा नहीं लेता है तो वह 132 क्रेडिट के आधार पर डिग्री ले सकता है।

9.5 यदि कोई योग्य छात्र (Fast learner)कम समय में डिग्री के लिये आवश्यक क्रेडिट प्राप्त कर लेगा तो न्यूनतम क्रेडिट प्राप्त करने पर अंतराल की सुविधा होगी, परन्तु डिग्री तीन वर्ष बाद ही मिलेगी। अंतराल के दौरान वह किसी भी कार्य को करने के लिये स्वतंत्र होगा ।

9.6 द्वितीय वर्ष में संकाय अथवा विषय परिवर्तन की स्थिति में अर्जित क्रेडिट सर्टीफिकेट की श्रेणी में आयेंगे, न कि डिप्लोमा क्योंकि डिप्लोमा प्राप्त करने के लिये उसे उसी विषय के आवश्यक क्रेडिट प्राप्त करने होंगे ।

9.7 तीन वर्ष में विद्यार्थी तीन मुख्य विषयों के कुल क्रेडिट का न्यूनतम 60 प्रतिशत क्रेडिट जिस संकाय में प्राप्त करेगा, उसी संकाय में उसे डिग्री दी जायेगी।

9.8 यदि विद्यार्थी तीन वर्ष में किसी एक संकाय में, तीन मुख्य विषयों के कुल क्रेडिट का न्यूनतम् 60 प्रतिशत क्रेडिट (112 का 60 प्रतिशत अर्थात 67 क्रेडिट)प्राप्त नहीं कर पाता है, तो उसे बैचलर आफ लिबरल ऐजूकेशन (B.L.Ed.)की डिग्री दी जायेगी तथा वह उन विषयों में स्नातकोत्तर कर सकेगा जिनमें स्नातक स्तर पर किसी विषय के प्रीरिक्वजाइट (prerequisite)की आवश्यकता नहीं होगी।

9.9 यदि कोई योग्य छात्र सर्टीफिकेट/डिप्लोमा ले कर अपने क्रेडिट री–क्रेडिट (re-credit)कर लेता है और वह आगामी परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो वह री–क्रेडिट किये गये क्रेडिट का उपयोग कर पुनः सर्टीफिकेट/डिप्लोमा प्राप्त कर सकता है ।

10. उपस्थिति व क्रेडिट निर्धारण

10.1 क्रेडिट वेलीडेशन के लिये परीक्षा देना आवश्यक होगा। परीक्षा के बिना क्रेडिट अपूर्ण होंगे ।

10.2 परीक्षा देने के लिये पूर्व नियमानुसार 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी ।

10.3 यदि कोई छात्र कक्षा में उपस्थिति के आधार पर परीक्षा के लिये अर्हता प्राप्त करता है, परन्तु किसी कारण से परीक्षा नहीं दे पाता, तो वह आगामी समय में अर्हित परीक्षा दे सकता है । उसे पुनः कक्षायें लेने की आवश्यकता नहीं होगी।

11. प्रवेश नियमावली एवं प्रक्रिया तथा समय–सारणी (Time table)

11.1 विश्वविद्यालय सभी शिक्षण संस्थानों हेतु प्रवेश नियमावली तथा प्रक्रिया शासन द्वारा समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों के अनुरुप एक माह के भीतर तैयार करना सुनिश्चित करें जिससे राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 का समयान्तर्गत सत्र 2021–22 से क्रियान्वयन किया जा सके।

11.2 विश्वविद्यालय यह सुनिश्चित करें कि सभी शिक्षण संस्थान प्रवेश प्रारम्भ होने से पूर्व अपनी समय–सारणी (Time table) तैयार कर लें, जिससे छात्र प्रवेश के समय अन्य

संकाय के उन विषयों का चुनाव कर सकें जिनकी कक्षायें अलग समय पर संचालित होतीं हों तथा उनकी कक्षाओं के समय में ओवरलैपिंग न हो ।

11.3 सभी शिक्षण संस्थान समय–सारणी (Time table) ऐसे तैयार करें कि छात्रों को अन्य संकाय के विषयों को चुनने के अधिकतम विकल्प उपलब्ध हों ।

3– विश्वविद्यालयों से अपेक्षा है कि कृपया शासनादेश सं0 1065/सत्तर–3–2021–16(26)/2011 दिनांक 20.04.2021 के अनुसार शैक्षणिक सत्र 2021–22 से "च्वाइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम" (CBCS) पर आधारित सेमेस्टर सिस्टम एवं न्यूनतम समान पाठयक्रम को लागू करना सुनिश्चित करें, ताकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के उद्देश्यों के अनुरुप प्रदेश स्थित विश्वविद्यालयों के मध्य अकादमिक क्रेडिट ट्रांसफर सम्भव हो सके।

संलग्नक–यथोक्त।

(मोनिका एस.गर्ग)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या– 1567 (1)/सत्तर–3–2021, तद्दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– कुलपति, समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय, उ0प्र0।
2– अपर सचिव, उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ।

आज्ञा से

(अब्दुल समद)
विशेष सचिव।

14. स्नातक व स्नातकोत्तर कार्यक्रमों की वर्षवार संरचना

		Subject I	Subject II	Subject III	Subject IV	Vocational	Co-Curricular	Industrial Training/ Survey/ **Research Project**	**{Minimum Credits}** For the year	**{Cummulative Minimum Credits}** Required for Award of Certificate/ Diploma/ Degree
		Major	Major	Major	Minor Elective	Minor	Minor	Major		
		4/5/6 Credits	4/5/6 Credits	4/5/6 Credits	4/5/6 Credits	3 Credits		4 Credits		
Year	Sem.	Own Faculty	Own Faculty	Own/ Other Faculty	OtherSubject/ Faculty	Vocational/ Skill Development Course	Co-CurricularCourse (Qualifying)	Inter/Intra Faculty related to main Subject		
1	I	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	1 (4/5/6)	1	1		46	{46} Certificate in Faculty
	II	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)		1	1			
2	III	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	1 (4/5/6)	1	1		46	{92} Diploma in Faculty
	IV	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)		1	1			
3	V	Th-2(5) or Th-2(4)+ Pract-1(2)	Th-2(5) or Th-2(4)+ Pract-1(2)				1	1 (Qualifying)	40	{132} Bachelor in Faculty
	VI	Th-2(5) or Th-2(4)+ Pract-1(2)	Th-2(5) or Th-2(4)+ Pract-1(2)				1	1 (Qualifying)		
4	VII	Th-4(5) or Th-4(4)+ Pract-1(4)			1 (4/5/6)			1 (4)	52	{184} Bachelor (Research) in Faculty
	VIII	Th-4(5) or Th-4(4)+ Pract-1(4)						1 (4)		
5	IX	Th-4(5) or Th-4(4)+ Pract-1(4)						1 (4)	48	{232} Master in Faculty
	X	Th-4(5) or Th-4(4)+ Pract-1(4)						1 (4)		
6	XI	2 (6)	1 Research (4)Methodology					1 (Qualifying)	16	{248} PGDR in Subject
6,7,8	XII-XVI							Ph. D. Thesis		Ph.D. in Subject

Note:Blue Colour: No. of papersRed colour: Credits Purple colour: Non-Credit Qualifying Courses; Th-Theory, Pract-Practical

उत्तर प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा अनुभाग–3
संख्या–1969/सत्तर–3–2021
लखनऊः दिनांक 18 अगस्त, 2021

1– **कुलपति**
समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

2– **निदेशक,**
उच्च शिक्षा, उ0प्र0
प्रयागराज।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 में विभिन्न स्नातक छात्रों को रोजगार परक शिक्षा देने पर बल दिया गया है। तत्क्रम में उच्च शिक्षण संस्थानों द्वारा छात्रों के लिये रोजगार परक पाठ्यक्रमों की समुचित व्यवस्था की जानी अपेक्षित है। शासनादेश संख्या 1065/सत्तर–3–2021–16(26)/2011 दिनॉक 20–04–2021 एवं पत्र संख्या– 1567/सत्तर–3–2021–16 (26)/2011टी.सी. दिनॉक 13–07–2021 के क्रम में रोजगार परक पाठ्यक्रम लागू किये जाने हेतु निम्नवत् दिशा निर्देश जारी किये जा रहे हैं–

1. समझौता ज्ञापन (MoU)

1.1 उच्च शिक्षा विभाग द्वारा राज्य स्तर पर सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) विभाग के साथ किये गये समझौता ज्ञापन (MoU) के संबंध में निर्गत शासनादेश संख्या–602/सत्तर–3–2021–08(35)/2020 दिनांक 22.02.2021 के क्रम में विश्वविद्यालय एवं कालेज द्वारा स्थानीय स्तर पर समझौता ज्ञापन (MoU) किए जाने अपेक्षित हैं।

1.2 संचालित किये जाने वाले रोजगार परक पाठयक्रमों के लिये शिक्षण संस्थान निकटस्थ उद्योग, आई0टी0आई0, पॉलीटैक्निक, इंजीनियरिंग कालेज, शिल्पकार, पंजीकृत उद्यमों, विशेषज्ञ व्यक्तियों आदि से समन्वय करेंगे ।

1.3 सरकार द्वारा चलाये जा रहे रोजगार परक पाठयक्रमों/प्रशिक्षण/इन्टर्नशिप के लिये शिक्षण संस्थान सम्बंधित विभागों से समन्वय करगें ।

1.4 MoU करते वक्त विद्यार्थी की कार्यस्थल पर सुरक्षा के लिये विशेष ध्यान रखा जाये।

1.5 MoU में विद्यार्थी को ट्रेनिंग/इन्टर्नशिप के दौरान नियमानुसार मानदेय के लिये यथा सम्भव प्रयास किया जाना चाहिए।

2. समय सारणी

प्रशिक्षण/इन्टर्नशिप अवकाश के समय अथवा कालेज समय–सारणी के पश्चात करायी जा सकती है अथवा इसके लिये सप्ताह में एक दिन निर्धारित किया जा सकता है।

कालेज समय–सारणी में इन कोर्स को यथा संम्भव आरम्भ (प्रातः) अथवा अंत (सांय) में रखा जा सकता है, ताकि सभी विषयों के विद्यार्थी सुगमता से इसका लाभ उठा सकते है।

3. सीट निर्धारण

कालेज में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर विभिन्न पाठयक्रम तैयार किये जाये तथा स्किल पार्टनर से वार्ता कर सीट निर्धारण किया जाना उचित होगा।

4. परीक्षा

4.1 थ्योरी/समान्य भाग की परीक्षा (1 क्रेडिट) विश्वविद्यालय/कालेज द्वारा करायी जायेगी तथा ट्रेनिंग/इर्न्टरनशिप (2 क्रेडिट) की परीक्षा स्किल पार्टनर द्वारा करायी जायेगी ।

4.2 स्किल पार्टनर विद्यार्थी के द्वारा ट्रेनिंग/इर्न्टरनशिप के दौरान किये गये कार्य तथा ऑनलाइन/ऑफलाइन परीक्षा के आधार पर उसके स्किल का आंकलन कर सकते हैं ।

4.3 Theory and Skill के अंक प्राप्त होने के पश्चात समयान्तर्गत कालेज द्वारा पोर्टल पर अंक अपलोड किये जायेंगे।

4.4 विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त अंकतालिका/डिग्री में उक्त रोजगार परक विषय का विवरण अंकित किया जायेगा।

4.5 इसके अतिरिक्त, विश्वविद्यालय/कालेज एवं स्किल पार्टनर संयुक्त रुप से विद्यार्थी को अलग से भी सर्टीफिकेट जारी कर सकते हैं ।

5. पाठ्यक्रम

5.1 विश्वविद्यालय/महाविद्यालय रोजगार परक विषयों/पेपर के पाठ्यक्रम तैयार करेंगे, जिन्हें विश्वविद्यालय की पाठ्यक्रम समिति, विद्धुत परिषद एवं कार्यपरिषद इत्यादि से नियमानुसार अनुमोदित कराया जायेगा ।

5.2 पाठ्यक्रम स्किल पार्टनर/स्किल डेवलपमेन्ट काउसिंल आदि के सहयोग से यू0जी0सी0/एन0एस0क्यू0एफ0 आदि की गाइडलाइन्स के अनुसार बनाया जायेगा।

5.3 जिन ट्रेड में यू0जी0सी0/एन0एस0क्यू0एफ0/स्किल डवलपमेंट काउसिंल/शासकीय विभाग के पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं, उनमें उन पाठ्यक्रमों को वरीयता दी जानी उचित होगी ताकि छात्रों के प्लेसमेंट/इर्न्टनशिप में उनका सहयोग प्राप्त हो सके ।

5.4 विभिन्न विषयों में विभागाध्यक्ष/शिक्षक द्वारा तैयार पाठ्यक्रमों में सामान्य/थ्योरी एवं स्किल/ट्रेनिंग/इर्न्टरनशिप/लैब का अनुपात 40:60 होगा तथा ऐसे पाठ्यक्रमों के लिये स्किल पार्टनर के साथ एम0ओ0यू0 की व्यवस्था विश्वविद्यालय/कालेज प्रशासन करेगा ।

5.5 समान्य/थ्योरी पाठयक्रम का एक क्रेडिट–15 घंटो का तथा स्किल का एक क्रेडिट–30 घंटो का होगा अर्थात 3 क्रेडिट के पाठयक्रम में 15 घंट की थ्योरी (1 क्रेडिट) तथा 60 घंटे की ट्रेनिंग/इर्न्टरनशिप/लैब (2 क्रेडिट) होगी ।

6. पाठ्यक्रम का प्रकार

6.1 पाठ्यक्रम दो प्रकार के हो सकते हैं–

6.1.2 Individual nature – एक सेमेस्टर में पूर्ण होने वाले पाठ्यक्रम

6.1.3 Progressive nature – एक ही पाठ्यक्रम जिसकी विशेषज्ञता प्रत्येक सेमेस्टर के साथ बढती जायेगी, परन्तु किसी भी सेमेस्टर में छोडने पर वह पूर्ण हो सके।

6.2 विद्यार्थी अपनी पसंद एवं सुविधानुसार पाठ्यक्रम का चुनाव कर सकेंगे ।

7. क्रेडिट

रोजगार परक पाठ्यक्रम से प्रत्येक सेमेस्टर में विद्यार्थी को न्यूनतम 3 क्रेडिट अर्थात् प्रति वर्ष 6 क्रेडिट अर्जित करने होंगे। विद्यार्थी आवश्यकता से अधिक क्रेडिट वाले रोजगार परक पाठयक्रम का चुनाव कर सकते है तथा उन्हें जमा कर सकते हैं, परन्तु एक वर्ष में 6 क्रेडिट/दो वर्ष में 12 क्रेडिट का उपयोग सर्टीफिकेट/डिप्लोमा/डिग्री प्राप्त करने में किया जायेगा ।

कृपया उपरोक्तानुसार अपने स्तर पर कार्ययोजना बनाकर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करवाने का कष्ट करें।

भवदीया

(मोनिका एस0 गर्ग)
अपर मुख्य सचिव

संख्या–1969 (1)/सत्तर–3–2021, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– कुलसचिव, समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय, उ0प्र0।

2– समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

3– अपर सचिव, उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ।

आज्ञा से,

(अब्दुल समद)
विशेष सचिव।

Format for syllabus development of Skill development course

Title of course-	
Nodal Department of HEI to run course	
Broad Area/Sector-	
Sub Sector-	
Nature of course - Independent / Progressive	
Name of suggestive Sector Skill Council	
Aliened NSQF level	
Expected fees of the course –Free/Paid	
Stipend to student expected from industry	
Number of Seats-……	Credits- 03 (1 Theory, 2 Practical)
Course Code-……	
Max Marks…100…… Minimum Marks……	
Name of proposed skill Partner (Please specify, Name of industry, company etc for Practical /training/ internship/OJT	
Job prospects-Expected Fields of Occupation where student will be able to get job after completing this course in (Please specify name/type of industry, company etc.)	

Syllabus

Unit	Topics	General/ Skill component	Theory/ Practical/ OJT/ Internship/ Training	No of theory hours (Total-15 Hours=1 credit)	No of skill Hours (Total-60 Hours=2 credits)
I					
II					
III					
IV					
V					
VI					

Suggested Readings:

Suggested Digital platforms/ web links for reading-

Suggested OJT/ Internship/ Training/ Skill partner

Suggested Continuous Evaluation Methods:

Course Pre-requisites:

- No pre-requisite required, open to all
- To study this course, a student must have the subject …… in class/12th/ certificate/diploma
- If progressive, to study this course a student must have passed previous courses of this series.

Suggested equivalent online courses:

Any remarks/ suggestions:

Notes:

- Number of units in Theory/Practical may vary as per need
- Total credits/semester-3 (it can be more credits, but students will get only 3credit/ semester or 6credits/ year
- Credits for Theory =01 (Teaching Hours = 15)
- Credits for Internship/OJT/Training/Practical = 02 (Training Hours = 60)

उत्तर प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा अनुभाग–3
संख्या–2058/सत्तर–3–2021–08(33)/2020टी.सी.
लखनऊः दिनांक–26 अगस्त, 2021

1. निदेशक,
   उच्च शिक्षा, उ0प्र0,
   प्रयागराज।

2. कुलसचिव,
   समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय,
   उत्तर प्रदेश।

कुलसचिव कार्यालय
दिनांक 26.8.21
पंजिका पृष्ठ सं० 27
क्रमांक सं० 918
हस्ताक्षर ...

विषयः– राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के परिप्रेक्ष्य में छात्र मूल्यांकन एवं मूल्यांकन विधियों के सम्बन्ध में।

उच्च शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए छात्रों का समयबद्ध, सतत एवं पारदर्शी मूल्यांकन आवश्यक है, ताकि उच्च शिक्षा की गुणवत्ता बनी रहे। इस उद्देश्य से विश्वविद्यालयों द्वारा छात्रों के मूल्यांकन हेतु प्रणाली निर्धारित किया जाना आवश्यक है। इस परिप्रेक्ष्य में कतिपय मार्गदर्शी सिद्धान्त नीचे उल्लिखित किए जा रहे है। ज्ञातव्य हो कि ये सिद्धान्त मात्र सांकेतिक/परिचायक (indicative) हैं। विश्वविद्यालयों से अपेक्षा है कृपया इन्हें ध्यान में रखते हुए अपने स्तर पर Academic Council, Executive Council आदि में गहन विचार–विमर्श करके छात्र मूल्यांकन के मानक और विधियाँ निर्धारित कर लें। Semester-end exam के अतिरिक्त continuous and comprehensive evaluation अनिवार्य रूप से की जानी चाहिए। किस मानक (parameter) को कितनी weightage दी जानी चाहिए, उसका आंकलन करने के लिए क्या प्रक्रिया एवं व्यवस्था बनायी जानी चाहिए, इन बिन्दुओं पर सक्षम प्राधिकारियों के स्तर पर चर्चा कर विश्वविद्यालय द्वारा शीघ्र निर्णय लिया जाना अपेक्षित हैं।

स० कुलसचिव (शैक्षणिक)
26/8/21

2. छात्र मूल्यांकन सतत, व्यापक एवं समग्र होना चाहिए। यह मूल्यांकन निम्न मानकों पर किया जा सकता है:–

i. शैक्षणिक मूल्यांकन (Academic assessment)
ii. कौशल मूल्यांकन (Skill assessment)
iii. शारीरिक मूल्यांकन (Physical assessment)
iv. व्यक्तित्व मूल्यांकन (Personality assessment)
v. बहिमुर्खी मूल्यांकन (Extracurricular assessment)
vi. स्वमूल्यांकन (Self assessment)

(i) **<u>शैक्षणिक मूल्यांकनः–</u>**

(क) सतत आंतरिक मूल्यांकनः (Continuous Internal Assessment)– राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 में छात्रों के सतत आंतरिक मूल्यांकन पर विशेष बल दिया गया है। आंतरिक मूल्यांकन में शैक्षणिक गतिविधियों से सम्बन्धित विभिन्न कार्य कराए जाने चाहिए जिससे छात्रों का बहुमुखी विकास हो। उदाहरण के लिए project, seminar, role play, quiz, puzzle, test, pratical, survey, book review, student

parliament, screenplay, essay, exhibition, fair, educational, visit आदि कार्यो को सतत आंतरिक मूल्यांकन के लिए किया जा सकता है।

आंतरिक मूल्यांकन हेतु वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं/प्रतियोगिताओं/गतिविधियों का प्रयोग किया जा सकता है। इसमें छात्र उपस्थिति (विशेषकर राष्ट्रीय पर्वो व अन्य महत्वपूर्ण दिवसों पर) एवं विभिन्न सामाजिक कार्यो में प्रतिभागिता आदि को सम्मिलित किया जा सकता हैं।

(ख) बाहरी मूल्यांकनः– बाहरी मूल्यांकन का कार्य सम्बद्धता प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय के द्वारा परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा।

(ii) कौशल मूल्यांकन :–

कौशल से सम्बन्धित विषय का मूल्यांकन सम्बन्धित उद्योग तथा उच्च शिक्षण संस्थान द्वारा संयुक्त रूप से किया जाना चाहिए। चूँकि कौशल विकास में ट्रेनिंग का अधिक महत्व है, अतः ट्रेनिंग से सम्बन्धित कार्य को 60% तथा परीक्षा (theoretical knowledge) को 40% के आधार पर मूल्यांकन किया जा सकता है।

(क) उद्योग द्वारा किए जाने वाला मूल्यांकन– इसमें कार्यस्थल पर ट्रेनिंग, उद्योग में ट्रेनिंग, internship, apprenticeship, field work आदि कार्य कराए जा सकते है।

(ख) सम्बन्धित उच्च शिक्षण संस्थान द्वारा किए जाने वाला मूल्यांकन– परीक्षा का कार्य सम्बन्धित उच्च शिक्षा संस्थान द्वारा किए जाएगा जिसमें वे लिखित एवं प्रायोगिक परीक्षा के माध्यम से मूल्यांकन कर सकते है।

महाविद्यालय विभिन्न औद्योगिक संस्थानों के साथ एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित करके कौशल विकास उपरान्त मूल्यांकन हेतु परीक्षा आयोजित कर सकते है।

(iii) व्यक्तित्व मूल्यांकन :–

विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास पर उच्च शिक्षण संस्थानों को ध्यान देना होगा तथा निम्न कार्यो के द्वारा व्यक्तित्व विकास तथा उसका मूल्यांकन किया जा सकता हैः– भाषा (language) एवं सॉफ्ट स्किल (soft- skill), grooming, mock interview, social skill, राष्ट्रीय पर्वो एवं विशिष्ट दिवसों में प्रतिभागिता, आदि।

विद्यार्थियो द्वारा सांस्कृतिक, अकादमिक, रचनात्मक या सामाजिक क्षेत्रों में से किसी एक में अपनी रूचि अनुसार कार्य किया जा सकता है।

(iv) शारीरिक मूल्यांकनः–

स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग रहता है, इसलिए शारीरिक क्षमता विकसित करने की दिशा में समय समय पर इसका मूल्यांकन निम्न आधार पर किया जा सकता हैः– खेल गतिविधियां, योग, स्वास्थ्य परीक्षण (health checkups), मनोवैज्ञानिक क्षमता, आदि।

प्रवेश के समय विद्यार्थियों द्वारा किसी खेल का चयन किया जा सकता है तथा संस्थान द्वारा विभिन्न स्पर्धाओं के माध्यम से उनका मूल्यांकन किया जा सकता है।

(v) बहिर्मुखी मूल्यांकनः–

शिक्षण संस्थानों में विभिन्न प्रकार की co-curricular एवं extra-curricular गतिविधियां लगातार संचालित होती रहती है, जिससे छात्र की प्रतिभा का पता लगता

है। शिक्षा संस्थानों को ऐसी सभी extra-curricular गतिविधियों का मूल्यांकन कर छात्रों को प्रोत्साहित करना चाहिए और यदि संभव हो, तो इनके परिणाम को भी मार्कशीट में अंकित करने पर विचार किया जा सकता है।

(Vi) **स्वमूल्यांकन :–**

छात्रों का आत्मबल बढाने के लिए उन्हें स्व मूल्यांकन करने का अवसर प्रदान किया जा सकता है। यदि यह स्व–मूल्यांकन ऑनलाइन माध्यम से स्व निर्देशात्मक सामाग्री (auto-instructional material) के अन्तर्गत हो सके, तो इसमें पारदर्शिता बनी रहेगी, और छात्र को भी अपने सही स्तर की जानकारी हो जाएगी। उदाहरण के लिए, जब छात्र कोई ई–कन्टेन्ट ऑनलाइन सामग्री पढ़ता है, तो उसके बाद उसे सम्बन्धित ई–कंटेन्ट के चार–पॉच प्रश्नों का उत्तर देना होगा, तभी वह अगला ई–कंटेन्ट तथा चैप्टर पढ सकेगा, इसे पूर्व ज्ञान (prerequisite knowledge) की तरह भी देखा जा सकता है।

3. राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के अनुरूप शैक्षिक सत्र 2021–22 दिनांक 13 सितम्बर, 2021 से प्रारम्भ हो रहा है। मूल्यांकन के उपरोक्त पहलुओं को indicative (not exhaustive) मानते हुए अनुरोध है कि छात्र मूल्यांकन हेतु मानक, उनके वेटेज, उनके आकलन की प्रक्रिया आदि का निर्धारण विश्वविद्यालय द्वारा अविलम्ब कर लिया जाय और छात्रों को समय से इसकी जानकारी उपलब्ध करा दी जाय ताकि पारदर्शिता एवं एकरूपता बनी रहे।

भवदीया,

20/8

मोनिका एस0 गर्ग
अपर मुख्य सचिव।

संख्या–2058 / सत्तर–3–2021 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. कुलपति, समस्त राज्य / निजी विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. अपर सचिव, उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

(श्रवण कुमार सिंह)
विशेष सचिव।